

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा , राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ , जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 , , फ़ैक्स:- 0141-2742309 , ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-2546)/अलेसे-III/184

दिनांक:- 31-1-2023

कार्यालय आदेश

श्री रणजीत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (दिव्यांग) कार्यालय उपकोषाधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 15.12.2022 के आधार पर एवं वित्त (नियम) विभाग के आदेश 30.05.2022 के अनुसरण में नियमानुसार मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 1200/-) प्रति माह वाहन भत्ता स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति 15.12.2022 (चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा) से प्रभावी होगी।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-2546)/अलेसे-III/184

दिनांक:- 31-1-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपकोषाधिकारी, बुहाना, जिला झुन्झुनू
2. श्री रणजीत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय उपकोषाधिकारी, बुहाना, जिला झुन्झुनू
3. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)